सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मकाम —

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा बरसूणा के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 135 की जमा बंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम राजू राम पुत्र भवरूराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र भवरूराम दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा बरसूणा के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 135 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की पुश्तैनी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम राजू राम पुत्र भवरूराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र भवरूराम भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा बरसूणा के खसरा नम्बर 196 रकबा 0.6232 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 198 रकबा 0.7608 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेश: : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा बरसूणा के खाता संख्या 135 के खसरा नम्बर 196 रकबा 0.6232 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 198 रकबा 0.7608 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम राजेन्द्र पुत्र भवरूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर राजू राम पुत्र भवरूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। **उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 22/09/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner